

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4400]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940

No. 4400]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018

का.आ. 5607(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2049 (अ), तारीख 22 मई, 2018 के अधिक्रमण में यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन जो शिक्तयां और कार्य इसके द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाते हैं, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे, अर्थात:-

- (क) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के आयात के लिए;
- (ख) सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, आयुध नियम, 2016 की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट आयुध और गोला बारूद के निर्यात के लिए।
- 2. इस अधिसूचना के अधीन शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन उक्त अधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (i) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित नीतियों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा तथा गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमित के बिना इनसे संबंधित न कोई नई नीति निरूपित करेगा और न ही कोई अनुदेश जारी करेगा; और
 - (ii) केन्द्रीय सरकार, यदि कार्रवाई का ऐसा अनुक्रम उसकी राय में लोकहित में आवश्यक है, तो वह ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा कार्यों को या तो वापस ले सकेगी या स्वयं उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन कर सकेगी।

[फा.सं. वी.-11026/164/2018-आय्ध]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

6488 GI/2018 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2018

- **S.O.** 5607(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), and in supersession of the notification of the Government of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii) vide S.O. 2049(E), dated the 22nd May, 2018 the Central Government hereby directs that, the powers and functions which are exercised and performed by it under section 10 of the said Act, shall also be exercised and performed by the following officers, namely: -
 - (a) the Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry or an officer authorised by him in this behalf for import of Arms and Ammunition as specified in Schedule I of Arms Rules, 2016;
 - (b) the Secretary to the Government of India in Department of Defence Production, Ministry of Defence or an officer authorised by him in this behalf for export of Arms and Ammunition as specified in Schedule I of the Arms Rules, 2016.
- 2. The powers and functions under this notification shall be exercised and performed by the said officers subject to following conditions, namely: -
 - (i) The Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry and the Secretary to the Government of India in Department of Defence Production, Ministry of Defence shall observe the policies and instructions laid down by the Central Government in the Ministry of Home Affairs and shall not enunciate any new policy or issue instructions in relation thereto without the prior consent of the Central Government in the Ministry of Home Affairs; and
 - (ii) The Central Government may revoke such delegation of powers and functions or may itself exercise or perform the powers or functions under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

[F.No.V-11026/164/2018-Arms]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.